न्यायालय अपर समाहर्त्ता,खूँटी

अनुसूची–14 फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम –129

न्यूनतम मजदूरी अपील वाद सं0– 02 R 15 वर्ष 2014 धारा..................................

अपीलकर्त्ता / प्र0प0 / आवेदक — प्रतिवादी / द्वि0प0 / विपक्षी

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,मुरहू — वनाम — कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल खूँटी एवं अन्य

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
26.02.14	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं निरीक्षक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मुरहू,खूँटी के पत्रांक–85 दिनांक 06.07.2012 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह– प्राधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 खूँटी के द्वारा MW वाद संख्या–53 / 90 में दिनांक–28.10.1996 को पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 20 के (घ) उपधारा 6(i) के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन दिये गये निदेश से व्यथित कोई नियोजक या कर्मकार या इसे अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कोई निरीक्षक उपधारा (2) के अधीन आवेदन दिये जाने पर, निदेश की तारिख से 30 दिनों के भीतर ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिदिष्ट करें और वह प्राधिकारी अपील की सुनवाई करने के बाद उस निर्देश को जिसके विरूद्व अपील की गई हो संपुष्ट उपांतरित या प्रतिवर्त्तित कर सकेगा तथा उस प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्व पुनः कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी एवं (6–क) यदि इस बात का समाधान हो जाये कि आवेदक पर्याप्त कारण से उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपील न कर सके। उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्राधिकारी अतिरिक्त 30 दिनों के भीतर लेकिन उसके वाद अपील नहीं करने की अनुज्ञा दे सकेगा " उक्त नियम के अन्तर्गत 30 दिन एवं अतिरिक्त 30 दिन कुल 60 दिनों के अन्दर अपील स्वीकृत करने का प्रावधान है। परन्तु उक्त वाद लगभग 16 वर्षो बाद दायर किया गया है। जो कालबाधित है। अतः अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल अपील आवेदन को उपरोक्त नियम के आलोक में दाखिला बिन्दु पर ही अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता, खूँटी। — 26/02/14 अपर समाहर्त्ता, खूँटी।	11/ 13.03.14 17/ 21.07.14